राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

68वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 के कार्य बिन्दुओं से संबंधित कृत कार्यवाही

क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्यवाही
1.	**शासन से संबंधित कार्य बिंदु :** **(क)** उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2016 में केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पर अधिनियम ड्राफ्ट के अनुरुप दिए गए बिंदुओं को समाहित किए जाने संबंधी अभिस्वीकृति राजस्व विभाग से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा पत्र संख्या प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./3892 दिनांक 28 फरवरी, 2019 द्वारा मांगी गयी है। **(कार्यवाही : राजस्व विभाग)**	**शासन से संबंधित कार्य बिंदु :** **(क)** केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 के आधार पर उत्तराखंड राज्य द्वारा एक मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम बनाए जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 68वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 में चर्चा की गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन द्वारा जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2016 (छायाप्रति) उपलब्ध कराते हुए यह अपेक्षा की गयी थी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 द्वारा दी गयी अधिसूचना को ही उत्तराखंड राज्य में मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम माना जाए। इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अपने पत्रांक प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./3892 दिनांक 28 फरवरी, 2019 के द्वारा राजस्व विभाग उत्तराखंड से अनुरोध किया गया था कि उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 मे केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम ड्राफ्ट के अनुरुप दिए गए बिंदुओं को समाहित किए जाने विषयक पुष्टि इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि इस विषय को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में अद्यतन हेतु सदन के पटल पर रखा जा सके। संबंधित पुष्टि अभी प्रतीक्षित है।
	ख) कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित नियम एवं अधिनियम कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जाए। **(कार्यवाही : कृषि विभाग)**	**(ख)** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 68वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 में वर्णित कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के संदर्भ में उत्तराखंड शासन, कृषि एवं विपणन अनुभाग - 2 के पत्रांक 964/**XIII-II**/40(1)/2014 देहरादून दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा उत्तराखंड कृषि उत्पादन मण्डी संविदा कृषि - कर्म (विकास एवं विनियम) नियमावली (2016) द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से

		संबधित नियम एवं अधिनियम उपलब्ध करवा दी गयी है।
	(ग) कृषि विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत राज्य के ऋणी व गैर-ऋणी कृषकों का विवरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराया जाए, ताकि उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर गैर-ऋणी कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार बैंकों द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही की जा सके। **(कार्यवाही : कृषि विभाग)**	**(ग)** भारत सरकार द्वारा उदघोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के क्रियान्वयन उत्तराखंड राज्य में भी प्रारम्भ किया गया है। कृषि विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य में लघु एव सीमांत कृषकों का डाटा उपलब्ध न होने के कारण कृषकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर 7.65 लाख पात्र कृषकों को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 6.03 लाख पात्र कृषकों को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पी.एम. किसान पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अद्यतन सूचना के अनुसार 4.14 लाख पात्र कृषकों को ₹ 82.82 करोड़ की धनराशि उनके बचत खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।
	(घ) कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण की अपेक्षित प्रगति दर्ज करने हेतु उद्यान, कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा क्षेत्रवार व्यवहार्य कार्ययोजना बनाकर बैंकों को उपलब्ध करायी जानी है। **(कार्यवाही : उद्यान, कृषि एवं पशुपालन विभाग)**	**(घ)** कृषि विभाग, उत्तराखंड के पत्र संख्या कृ.स./एस.एल.बी.सी./2019 दिनांक 27 अप्रैल, 2019 द्वारा समस्त मुख्य कृषि अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण की अपेक्षित प्रगति दर्ज करने हेतु उद्यान, कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा क्षेत्रवार व्यवहार्य कार्ययोजनाएं बनाकर बैंकों को उपलब्ध करायी जानी प्रतीक्षित है।
	(ङ) एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम. एवं पर्यटन विभाग से संबंधित सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों द्वारा ऑन-लाइन पोर्टल बनाया जाना अपेक्षित है। **(कार्यवाही : एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम. एवं पर्यटन विभाग)**	**(ङ)** एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम. एवं पर्यटन विभाग से संबंधित सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों द्वारा ऑन-लाइन पोर्टल बनाया जाना प्रतीक्षित है।
	(च) सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाएं यथा एन.आर.एल.एम. / वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना / होम स्टे / स्पेशल कम्पोनेंट प्लान आदि में वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष संबंधित विभाग (ग्राम्य विकास विभाग / पर्यटन विभाग / समाज कल्याण) विभाग पर्याप्त ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करें। **(कार्यवाही : (ग्राम्य विकास विभाग / पर्यटन विभाग / समाज कल्याण विभाग)**	**(च)** सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत मार्च, 2019 में लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत ऋण आवेदन पत्र संबंधित विभागों द्वारा बैंको को प्रेषित किए गए हैं ; योजना | वार्षिक लक्ष्य | प्रेषित आवेदन पत्रों की संख्या NRLM | **5641** | 5433 VCSGPSY | **400** | 359 HOME STAY | **2000** | 252 SCP | **2013** | 2095

	(छ) आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर दिसम्बर, 2018 तक व्यय की गयी लम्बित राशि **₹ 58.09 लाख** की प्रतिपूर्ति संबंधित आरसेटी संस्थानों को किया जाना ग्राम्य विकास विभाग से अपेक्षित है। **(कार्यवाही : ग्राम्य विकास विभाग)**	**(छ)** आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर दिसम्बर, 2018 तक व्यय की गयी लम्बित राशि **₹ 58.09 लाख** के सापेक्ष ग्राम्य विकास द्वारा ₹ **18.06 लाख** की प्रतिपूर्ति संबंधित आरसेटी संस्थान को कर दी गयी है।
	(ज) दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 की संशोधित अधिसूचना के क्रम संख्या - 5 में दर्शित 4(3) नियम 4 के संशोधन, जिसमें बताया गया है कि गृह आवास / होम स्टे स्थापित किए जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी। बैंक नियंत्रकों के द्वारा (होम स्टे) विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 में स्पष्टीकरण की संशोधित ड्राफ्ट सूचना पर्यटन विभाग को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अग्रिम कार्याही हेतु उपलब्ध करायी जाएगी। **(कार्यवाही : पर्यटन विभाग / राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,उत्तराखंड)**	**(ज)** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को प्रेषित पत्र संख्या प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./13 दिनांक 08 अप्रैल, 2019 के माध्यम से (होम स्टे) विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 में अपेक्षित संशोधन करने हेतु अनुरोध किया गया है।
	(झ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के अंतर्गत बढ़े हुए लक्ष्यों को संबंधित विभाग द्वारा बैंकवार आबंटित कर, बैंकों को उपलब्ध कराया जाए। **(कार्यवाही : उद्योग विभाग)**	**(झ)** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के अंतर्गत बढ़े हुए लक्ष्य **₹ 29.45 करोड़** से **₹ 34.75 करोड़** को बैंकों को उपलब्ध करा दिया गया है तथा बैंकों द्वारा कुल लक्ष्य **₹ 34.75 करोड़** के सापेक्ष ₹ **39.63 करोड़** (**114%**) की प्रगति दर्ज की गयी है।
	(ञ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजनांतर्गत गैर-वाहन मद में सम्मिलित 11 अन्य नई गतिविधियों से संबंधित शासनादेश बैंकों को उपलब्ध कराया जाए। **(कार्यवाही : पर्यटन विभाग)**	**(ञ)** इस संबंध में उत्तराखंड शासन के पर्यटन अनुभाग संख्या VI(1)/2018-117(पर्यटन)/2001 दिनांक 27 नवम्बर, 2018 की अधिसूचना सभी बैंकों को उपलब्ध करा दी गयी है।
	(त) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित / लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का विवरण प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही हेतु सॉफ्ट कॉपी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराया जाए तथा सभी बैंक शाखाओं को समान अनुपात में ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए जाएं। **(कार्यवाही : उत्तराखंड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास**	**(त)** विभाग द्वारा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत मार्च, 2019 त्रैमास तक का विवरण निम्नवत है : योजना / वार्षिक लक्ष्य / प्रेषित आवेदन / **निरस्त / वापिस आवेदन** अनुसूचित जाति / 1459 / 1656 / **384** अनुसूचित जनजाति / 100 / 161 / **82**

	निगम लि. / उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम)	<table><tr><td>अल्पसंख्यक समुदाय</td><td>454</td><td>278</td><td>**171**</td></tr><tr><td>**कुल**</td><td>**2013**</td><td>**2095**</td><td>**637**</td></tr></table> **(थ)** उत्तराखंड शासन, कृषि विपणन अनुभाग द्वारा खरीफ सीजन 2019 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में बीमा प्रीमियम राशि नामे करने की अधिसूचना समय पर जारी कर दी गयी है, जिसे सभी बैंक नियंत्रकों को प्रेषित किया जा चुका है।
	(थ) खरीफ सीजन एवं रबी सीजन हेतु कृषकों के खाते से बीमा प्रीमियम राशि नामे करने की अंतिम तिथि 15 दिन पूर्व क्रमश: **15 जुलाई** तथा **15 दिसम्बर** है। इस संबंध में कृषि विभाग द्वारा परिवर्तन की तिथि से बैंकों को पत्र द्वारा अवगत कराया जाए। **(कार्यवाही : कृषि विभाग)**	
	(द) सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में एन.पी.ए. को कम करने हेतु, एन.पी.ए. खातों में वसूली हेतु संबंधित विभाग बैंकों का सहयोग करें। **(कार्यवाही : संबंधित विभाग)**	**(द)** ग्राम्य विकास विभाग द्वारा एन.पी.ए. खातों में सहयोग हेतु एन.आर.एल.एम. के संदर्भ में एन.पी.ए. खातों की सूची मांगी गयी थी, जिसे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया था, जिस पर हुई कार्यवाही की सूचना अभी प्रतीक्षित है। अन्य विभागों से इस पर सहयोग प्रतीक्षारत है।
2.	**<u>भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) योजनांर्तत प्राइवेट बैंकों को वित्तपोषण करने हेतु निर्देशित किया जाना है।	**<u>भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने पत्र संख्या देदू/विसविविस-275/02.02.003/2018-19 दिनांक 12 मार्च, 2019, उत्तराखंड राज्य में निजी बैंकों की सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है।
3.	**<u>नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** नाबार्ड द्वारा किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु **bankable** योजनाएं / प्रस्ताव बैंकों को वित्तपोषण हेतु प्रेषित किए जाएं।	**<u>नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** नाबार्ड द्वारा किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए एरिया डेवलपमेंट स्कीम का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक और रेखीय विभागों को किसान उत्पादन संगठनों, किसान क्लब तथा स्वयं सहायता समूहों की सूचियाँ उपलब्ध करा दी गयी हैं, जिनको ऋण से जोड़ा जा सकता है ताकि इन लाभार्थियों द्वारा अपने काम और आय को बढ़ाया जा सके।
4.	**<u>बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** **(क)** बैंक द्वारा गोल्ड मॉनिटाइजेशन योजना में धार्मिक संस्थानों / समितियों का सहयोग व	**<u>बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** (क) गोल्ड मॉनिटाइजेशन योजना में धार्मिक संस्थाओं / समितियों के सहयोग व सहभागिता हेतु

	सहभागिता के लिए सचिव, धर्मस्व, उत्तराखंड शासन के साथ बैठक में योजना से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया जाना है, जिसके पश्चात संबंधित विभाग, राज्य में स्थित सभी संबंधित धार्मिक संस्थाओं को पत्र द्वारा योजना के बारे में अनुरोध किया जाएगा, तत्पश्चात सभी संबंधित बैंक उन संस्थाओं के सामने योजना का पुन: प्रस्तुतीकरण करेंगे। **(कार्यवाही - राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड / धर्मस्व विभाग / संबंधित बैंक)**	प्रस्तुतीकरण के संबंध में दिनांक 06 मई, 2019 को सचिव (संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में संपन्न होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी है। अत: उक्त संबध में बैठक आयोजित करने हेतु तिथि निर्धारित की जानी अपेक्षित है।
	(ख) चयनित 2149 क्लस्टर / एस.एस.ए. में से लम्बित 362 एस.एस.ए. में बी.सी. / सी.एस.पी. की नियुक्ति निम्न बैंकों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2019 तक की जानी है। भारतीय स्टेट बैंक - 266, पंजाब नेशनल बैंक - 48, बैंक ऑफ बडौदा - 14, नैनीताल बैंक - 11, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक - 02, कॉरपोरेशन बैंक - 07, बैंक ऑफ इण्डिया - 05, पंजाब एण्ड सिंध बैंक - 03, इण्डियन ओवरसीज बैंक - 02, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया - 01, केनरा बैंक - 01, इलाहाबाद बैंक - 01 एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 01	**(ख)** चयनित 2149 क्लस्टर / एस.एस.ए. में से सितम्बर, 2018 में लम्बित 642 एस.एस.ए. के सापेक्ष 303 की प्रगति करते हुए लम्बित स्थिति निम्नवत है :

बैंक	**बी.सी. स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या**
भारतीय स्टेट बैंक देहरादून अंचल हल्द्वानी अंचल	246 79 168
पंजाब नेशनल बैंक	56
बैंक ऑफ बड़ौदा	13
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	01
बैंक ऑफ इण्डिया	04
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	01
नैनीताल बैंक	07
कॉरपोरेशन बैंक	07
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	02
इण्डियन ओवरसीज बैंक	00
केनरा बैंक	00
इलाहाबाद बैंक	01
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	01
कुल	**340**

(ग) संबंधित बैंकों द्वारा निम्नानुसार लम्बित वी.-सैट दिनांक 31 मार्च, 2019 तक स्थापित किए जाने हैं।

बैंक	वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	45
पंजाब नेशनल बैंक	16
बैंक ऑफ बड़ौदा	02
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	01
बैंक ऑफ इण्डिया	03
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	03
कुल	**70**

(घ) बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कैम्प में विशेष रुप से एन.आर.एल.एम. में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तपोषण संबंधित जानकारियाँ प्रदान करायी जाए।

(ङ) समस्त बैंक वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उन्हें आबंटित लक्ष्यों के सापेक्ष Sector-wise, विशेष रुप से कृषि क्षेत्र में फसली ऋण एवं सावधि ऋण के क्षेत्र में सभी बैंक वर्तमान वित्तीय वर्ष में ए.सी.पी. के लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन के माध्यम से वी.-सैट आपूर्तिकर्ता **M/s Huge Company** को पत्र भेजा गया है तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा भी सीधे वैण्डर **M/s Huge Company** से कार्यवाही की गयी है। मार्च, 2018 में लम्बित 209 वी.-सैट के सापेक्ष मार्च, 2019 तक 170 की प्रगति दर्ज करते हुए अवशेष वी.-सैट स्थापित किए जाने की स्थिति निम्नवत है :

बैंक	वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	34
पंजाब नेशनल बैंक	(वैकल्पिक कनेक्टिविटी) 0
बैंक ऑफ बड़ौदा	02
यूनियन बैंक	01
बैंक ऑफ इण्डिया	02
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	00
कुल	**39**

(घ) वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामीण शाखाओं, अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं आरसेटी सस्थानों द्वारा कुल 9899 वित्तीय साक्षरता कैम्प का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष रुप से एन.आर.एल.एम. में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को एवं ग्रामीणों को वित्तपोषण संबंधित जानकारियाँ प्रदान की गयी हैं।

(ङ) बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत आबंटित लक्ष्यों के सापेक्ष Sector-wise निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है।

(रु. करोड़ में)

सेक्टर	लक्ष्य	उपलब्धि	%
फार्म	10680.51	7189.14	67
नॉन फार्म	6102.48	6787.38	111
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	3242.55	2938.55	91
कुल	**20025.54**	**16915.07**	**84**

	(च) सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में, योजना के सम्मुख अंकित लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण संबंधित बैंक द्वारा किया जाए :	**(च)** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा संबंधित बैंक नियंत्रकों को पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे शाखाओं में 31 मार्च, 2019 तक सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा ऐसे सभी आवेदन पत्र जिन पर ऋण वितरण की कार्यवाही संभव है, लेकिन निस्तारित नहीं हो पाए हैं, के संदर्भ में उन्हें नये वित्तीय वर्ष में निस्तारित करने हेतु विभाग की पुन: अनुशंसा प्राप्त कर लें।

योजना	**लम्बित ऋण आवेदन पत्र**
प्रधानमंत्री आवास योजना	138
एन.आर.एल.एम.	1540
पी.एम.ई.जी.पी.	408
एन.यू.एल.एम.	489
स्पेशल कम्पोनेंट प्लान	518
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना	115
दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे)	165

	(छ) सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु बैंक एक रणनीति के तहत उन्हें प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों के निपटान हेतु विशेष प्रयास करें।	**(छ)** सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बैंकों द्वारा सार्थक प्रयास किए गए हैं।
	(ज) प्राइवेट बैंक, सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं विशेषकर एन.यू.एल.एम. / एन.आर.एल.एम. / स्टैण्ड अप इण्डिया में ऋण वितरित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगें।	**(ज)** भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या 275/02.02.003/2018-19 दिनांक 12 मार्च, 2019 द्वारा उत्तराखंड राज्य में निजी बैंकों की सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण में वित्तपोषण किए जाने विषयक पर असंतोष प्रकट करते हुए उचित एवं प्रभावी ऋण प्रवाह के लिए सभी निजी बैंकों की सहभागिता पर जोर देते हुए लक्ष्य के सापेक्ष ऋण वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
	(झ) सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में एन.पी.ए. को कम करने हेतु, एन.पी.ए. खातों में वसूली हेतु संबंधित विभागों का सहयोग प्राप्त करें।	**(झ)** इस संबंध में बिंदु संख्या - 1 (द) पर चर्चा कर ली गयी है।

5.	**अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदु :**	**अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदु :**
	क) अग्रणी जिला प्रबधक, हरिद्वार द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जिला हरिद्वार को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजनांतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी बैंक शाखाओं को समान अनुपात में ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने हेतु पत्र लिखा जाए।	**(क)** अग्रणी जिला प्रबंधक, हरिद्वार द्वारा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार को तथा प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार को दिनांक 07 मार्च, 2019 के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सी.सी.एल. ऋण आवेदन पत्र अनुपातिक रुप से विभिन्न बैंकों को उनके लक्ष्यानुसार के संबंध में पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
	(ख) समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत अपने जिले में जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी के द्वारा बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करेंगे।	**(ख)** मार्च, 2019 त्रैमास में जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा **563** ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष **145** आवेदन पत्रों को बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया है।
	ग) निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात दिसम्बर, 2018 त्रैमास की समाप्ति पर 40 प्रतिशत से कम रहा है।	**(ग)** निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात दिसम्बर, 2018 त्रैमास की समाप्ति पर 40 प्रतिशत से कम रहा है।

जिला	दिसम्बर, 2018	जिला	दिसम्बर , 2018
अल्मोड़ा	25%	रुद्रप्रयाग	25%
पौड़ी	24%	बागेश्वर	28%
टिहरी	38%		

जिला	दिसम्बर, 2018	जिला	दिसम्बर, 2018
अल्मोड़ा	25%	रुद्रप्रयाग	26%
पौड़ी	25%	बागेश्वर	30%
टिहरी	38%		

	संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक, ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने विषयक उप-समिति की बैठक में रेखीय विभागों, बैंकों एवं नाबार्ड के साथ विभिन्न गतिविधियों में ऋण वितरण की कार्ययोजना बनाएं।	इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों को समुचित निर्देश पुन: जारी किए गए हैं।
	घ) सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में, योजना के सम्मुख अंकित लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण संबंधित बैंक शाखा द्वारा करवाना सुनिश्चित करेंगे।	**(घ)** सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अपेक्षित प्रयास कर ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण कराया गया है।

	<table><tr><th>योजना</th><th>लम्बित ऋण आवेदन पत्र</th></tr><tr><td>प्रधानमंत्री आवास योजना</td><td>138</td></tr><tr><td>एन.आर.एल.एम.</td><td>1540</td></tr><tr><td>पी.एम.ई.जी.पी.</td><td>408</td></tr><tr><td>एन.यू.एल.एम.</td><td>489</td></tr><tr><td>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</td><td>518</td></tr><tr><td>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</td><td>115</td></tr><tr><td>दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे)</td><td>165</td></tr></table>	
6.	सभी बैंक नियंत्रक, 31 मार्च, 2019 की त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी **1-**48 पूर्णत: जाँच करने के उपरांत एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक **15 अप्रैल, 2019** तक ऑन-लाइन प्रेषित करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक)**	बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन-लाइन डाटा **20 अप्रैल, 2019** तक प्रेषित किए गए।

****